

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या- 101/2000-01

कृष्णा केराई।

बनाम


कुनाराम केराई।

आदेश


यह दीवानी वाद दिनांक- 30.03.2001 को कृष्णा केराई, पिता- धारी राम केराई, ग्राम- कसीरा, पो०- मालुका, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Declaration of plaintiff's right title and possession के लिए प्रतिवादी कुना केराई, पिता- स्व० प्रतकर केराई, ग्राम- कसीरा, पो०- मालुका, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बाद दिनांक- 12.01.2022 को प्रतिवादी की ओर से अंतिम उपस्थिति दी गई है। लेकिन वादी या उनके अधिवक्ता की ओर से लगातार कोई पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को वाद भूमि के लिए कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


11-04-22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


11-04-22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।